राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मोहरी बनाम साधुराम

तारीख हुक्म	1024/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 27/05/2026 को पेश हो |	
27/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 9 के पूर्वजो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत इस्तकरारहक़, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम भाबरू तहसील विराटनगर के आराजी खसरा नम्बर 2087, 2095 लगायत 2099, 2102, 2108 लगायत 2131, 2148 किता 31 कुल रकबा 13.94 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 21 के नाम दर्ज है। भूमि मुतनाजा की खातेदारी मे चन्दा पत्नी सुरजा, सुल्तान, भगवानसहाय, मालीराम पि. सुरजा, फूली पत्नी कल्याण, हनुमान, धूणाराम पि. कल्याण हिस्सा 1/3, मोहरी पत्नी सुरजा, मालीराम, रामकरण पि. सुरजा, गैंदी, सुसी, बरजी, कमली, चौथी, प्रेम पुत्रीयां सुरजा हिस्सा 1/3, नानगराम पुत्र नाथ्या हिस्सा 1/12, हरिराम, गाडाराम पि. नाथ्या हिस्सा 1/6, छींतरमल, पूरणमल, सुन्दरलाल पि. बोदूराम, फूली पत्नी बोदूराम हिस्सा 1/12 के नाम दर्ज है, जिसमें खातेदार चन्दा पत्नी सुरजा एवं फूली पत्नी बोदू फौत हो चुके हैं जिनके वारिसान के नाम पहले से ही खातेदारी मे दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 22, 23 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के पिता सुरजा परस्पर सगे भाई है, जिनके पिता का नाम उमदा था। आराजी जेरबहस पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 22, 23 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के पिता सुरजा व उसके वारिसान ही कदीम से काबिज रहकर काश्त करते है। सुरजा पुत्र श्योलाल व उसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 16 लगायत 21 अथवा अन्य प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 15 का भूमि मुतनाजा पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा आज भी मौके पर उनका भूमि मुतनाजा पर कोई कब्जा नहीं है। वादी एवं उसके भाई सुरजा, प्रभात व काना उपरोक्त भूमि पर अपने बुजुर्गों के समय से शान्तिपूर्वक राज.टीनेन्सी एक्ट 1955 के लागू होने से पूर्व से ही काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। वरवक्त लागू होने टर्म सैटलमेंट सं. 2008 एवं बरोज लागू होने राज. काश्तकारी अधिनियम दिनांक 15.10.1955 को वादी एवं उसके भाई सुरजा, प्रभात, काना पि. उमदा ही भूमि मुतनाजा पर बहैसियत काश्तकार काबिज थे एवं काश्त कर रहे थे, अन्य प्रतिवादीगण अथवा सुरजा पुत्र श्योलाल का भूमि मुतनाजा पर कोई कब्जा काश्त नहीं था। साबिक सैटलमेंट मे खातेदारी मे सुरजा पुत्र श्योलाल एवं नाथ्या पुत्र किशना का नाम बिना किसी आधार के गलत एवं गैरकानुनी तरीके से दर्ज किया गया है। वादी एवं उसके भाई सुरजा, प्रभात, काना	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मोहरी बनाम साधुराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1024/2018		

मे सुरजा ही राजकाज मे जाता आता था एवं समझदार तथा कर्ता खानदान था सभी भाई शामिल मे रहते थे, अतः साबिक सैटलमेंट के वक्त पर्चा खातेदारी मे अकेले सुरजा पुत्र उमदा का ही नाम सैटलमेंट कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा दर्ज कर दिया गया था, जबकि भूमि मुतनाजा पर चारों भाई बहिस्सा बराबर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 22 व 23 मृतक सुरजा के साथ बहिस्सा बराबर-बराबर के खातेदार हैं. पर्चा अकेले के नाम से गलत दर्ज किया गया था। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 22, 23 एव मृतक सुरजा पुत्र उमदा ने साबिक खसरा नम्बर 1893 मे संवत 2016 मे सामलाती रूप से चाह का निर्माण करवाया था जिसमे सभी भाईयों के सामलाती खर्चे से विद्युत सम्बन्ध सुरजा पुत्र उमदा के नाम से लगा हुआ है जिससे सभी भाई बराबर हिस्से के अनुसार सिंचाई करते रहे है एवं विद्युत खर्च की राशि भी हिस्से अनुसार जमा कराते रहे है। नये सैटलमेंट मे चाह की भूमि का नया नम्बर 2122 कायम किया गया है। साबिक सैटलमेंट मे भूमि की खातेदारी मे सुरजा पुत्र श्योलाल व नाथ्या पुत्र किशना के नाम से जो खातेदारी दर्ज की गई थी वह वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 22, 23 तथा सुरजा पुत्र उमदा के वारिसान के विरूद्ध प्रभावहीन व शुन्य है तथा काबिल दुरूस्ती है | प्रतिवादीगण प्रभात व काना तथा मृतक सुरजा पुत्र उमदा ने भूमि मुन्दर्जा अर्जी दावा सम्वत् 2016 मे चाह निर्माण करने के बाद परस्पर बैठकर बाहमी रूप से पारिवारिक बंटवारा कर लिया था एवं तब से वादी एवं प्रतिवादीगण प्रभात व काना व सुरजा पुत्र उमदा व उसके वारिसान बाहमी बंटवारे से अपने-अपने हिस्से मे आई भूमि पर अलग-अलग काबिज काश्त हैं एवं चाह व उसमे लगे विद्युत सम्बन्ध से अपने-अपने हिस्से की भूमि को सिंचित करते रहे है तथा जो भूमि पडत रही है उसके घास, पानी, पूले का फायदा उठाते रहे हैं तथा पशु चराते रहे है। वादपत्र मे दर्ज बंटवारे के अनुसार वादी के हिस्से में आयी भूमि के हाल सैटलमेंट मे हाल खसरा नम्बर 2110, 2111, 2127, 2128, 2129 एवं 2126 बनाये हैं, वादी का भूमि हाल खसरा नम्बर 2111, 2119, 2127, 2128, 2129 के सम्पूर्ण रकबे पर तथा हाल खसरा नम्बर 2126 उत्तर-पश्चिमी हिस्से की करीब 3 बीघा के रकबे पर कब्जा है, वादी उक्त भूमि पर सभी प्रतिवादीगण की जानकारी मे आषाढ संवत् 2016 के बाहमी बंटवारे से अलग से काबिज है तथा काश्त करता रहा है। वादी ने हाल खसरा नम्बर 2127 मे पुख्ता मकान बना रखा है तथा हाल खसरा नम्बर 2128 मे वादी ने अलग से अपना चाह भी बना लिया है एवं उक्त भूमि पर अलग से काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। आषाढ संवत 2016 मे बाहमी बंटवारा समय नाथ्या पुत्र किशना एवं सुरजा पुत्र श्योलाल भी राजस्व रिकार्ड मे नाम दर्ज होने के नाते बंटवारा से कब्जा मे भूमि लेना चाहते थे किन्तु वादी एवं उसके भाईयों ने उनको

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मोहरी बनाम साधुराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/4/2018		

साफ मना कर दिया कि तुम्हारा जमीन मे कोई कब्जा व अधिकार नहीं है एवं बाहमी बंटवारा मे उन्हें कोई भूमि नहीं दी गई है उसके बाद भी भूमि मुतनाजा पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 22, 23 एवं मृतक सुरजा पुत्र उमदा व उसके वारिसान प्रतिवादीगण को आउस्ट रखते हुए होस्टायल रूप से अजजायद 12 वर्ष से भी अधिक अर्से करीब 45-46 साल से भूमि मुतनाजा पर शान्तिपूर्वक बिना किसी बाधा के लगातार सुचारू रूप से काबिज है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 एवं 22 लगायत 23 को इस आधार पर भी प्रतिवादीगण के खिलाफ कब्जा मुखालफाना हो गया है एवं वादी को भूमि मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 2110, 2111, 2127, 2128, 2129 सभी नम्बरों की सम्पूर्ण भूमि एवं खसरा नम्बर 2126 की उत्तर-पश्चिम साइड की करीब तीन बीघा भूमि पर सभी प्रतिवादीगण के खिलाफ कब्जा मुखालफाना से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है । भूमि मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 2130, 2131 नेशनल हाईवे नम्बर 8 पर स्थित है. सन् 1992 मे रोड के विस्तार के लिए इन दोनो नम्बरों में से करीब 14 एयर भूमि को राजस्थान सरकार के पी.डब्लू.डी. विभाग द्वारा अवाप्त किया गया था, उस समय भी नाथ्या पुत्र किशना के वारिसान व सुरजा पुत्र श्योलाल के वारिसान ने भूमि मुतनाजा मे से अवाप्त की जाने वाली भूमि का मुआवजा प्राप्त करने की कोशिश की थी, उस समय वादी एवं उसके भाईयों ने न्यायालय ए.सी.एम. शाहपुरा के यहां वादपत्र नाथ्या पुत्र किशना के वारिसान प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 15 व उनके भाई बोदूराम व नाथ्या के खिलाफ तथा सुरजा पुत्र श्योलाल के वारिसान प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 20 के विरूद्ध दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था, जो बाद में हिदायत पैरवी नहीं होने से खारिज किया गया था। वादी ने प्रतिवादीगण व उनके बुजुर्ग को रिकार्ड दुरूस्ती बाबत कई बार कहा है किन्तु वे टालमटोल करते रहे है, अब प्रतिवादीगण ने रिकार्ड दुरूस्ती हेतु साफ मना कर दिया है। रिकार्ड दुरूस्ती से मना करने के बाद जब पटवारी हलका से जमाबन्दी की नकल ली तब वादी को पता चला कि प्रतिवादीगण हरिराम व गाडाराम तथा मोहरी, मालीराम, रामकरण, सुरजा वगैरह ने भूमि पर उनका कब्जा न होते हुए भी राजस्व रिकार्ड मे नाम दर्ज होने का गलत फायदा उठाते हुए भूमि मे उनके नाम दर्ज हिस्से को दी जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाहपुरा मे रहन भी कर रखा है एवं भूमि को अन्य दीगर व्यक्ति को हस्तान्तरित करने की धमकी देने से इस बात का पूरा-पूरा अंदेशा हो गया है कि प्रतिवादीगण अभी भी राजस्व रिकार्ड के आधार पर रहन बय बख्सीस आदि द्वारा हस्तान्तरित कर खुर्द-बुर्द कर सकते है। अतः प्रतिवादीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक हो गया है। अब वादी के भाई सुरजा पुत्र उमदा का देहान्त हो गया है. प्रतिवादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मोहरी बनाम साधुराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1024/2018	

संख्या 1 लंगायत 9 उसके जायद वारिस कायम मुकामान है एवं उसके हिस्से की भूमि पर काबिज है। भूमि मुन्दर्जा अर्जीदावा की खातेदारी मे वादी का नाम दर्ज नहीं होने से अब उनके मन मे बेईमानी आ गई है तथा उन्होनें अन्य प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 25 से साज करली है तथा वादी को कब्जे काश्त से बेदखल करने लगे है एवं राजस्व रिकार्ड के आधार पर भूमि को खुर्द-बुर्द करने का आमादा है। दावा दायरी के पन्द्रह दिन पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने एलानियां कहा कि वादी का भूमि मुतनाजा की खातेदारी मे कहीं कोई नाम दर्ज नहीं है केवल जमीन पर कब्जा ही है जबकि राजस्व रिकार्ड हमारे पिता सुरजा पुत्र उमदा एवं सुरजा पुत्र श्योलाल के एवं नाथ्या पुत्र किशन लाल के वारिसान के नाम दर्ज है। अतः अब हम सब मिलकर राजस्व रिकार्ड के आधार पर भूमि को अन्य किसी को हस्तान्तरित कर देगें व वादी को जबरन बेदलख करा देगें, जबकि प्रतिवादीगण को इस प्रकार बिना कब्जे के आधार पर वादी की कदीमी कब्जे काश्त की एवं हक खातेदारी की भूमि को हस्तान्तरित करने का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 ने दावा दायरी के बाद न्यायालय के अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 12.09.05 की जानबूझकर अवहेलना करते हुए बदनीयति से वादीगण को नुकसान पहुंचाने व भूमि से महरूम कर देने की नियत से अन्य भूमियों के साथ-साथ विवादित भूमि खसरा नम्बर 2110,/0.32, 2111/0.30, 2126/3.41, 2127/0.48, 2148/1.74 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड मे गलत रूप से अपने नाम दर्ज 2/7 भाग का विकय पत्र दिनांक 01.10.05 को प्रतिवादी संख्या 29 जयभारत बिल्डहोम प्रा.लि. जरिए निदेशक प्रदीप चौधरी निवासी जयपुर के नाम गलत व गैर कानूनी तरीके से स्वयं प्रतिवादीगण कब्जा भूमि पर न होते हुए भी उप पंजीयक विराटनगर के यहां पंजीबद्ध कराया है जो कि खिलाफ कानून होने से एबइनिशयों नल एण्ड वोईड है, उससे केतागण को किसी प्रकार के कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है, भूमि पर कब्जा आज भी वादीगण का है, केता का भूमि के किसी भी भाग पर कोई कब्जा नहीं है। अतः निवेदन है कि वादी को उसके बाहमी हिस्से में आयी भूमि ग्राम भाबरू के हाल खसरा नम्बर 2110, 2111, 2127, 2128, 2129 के सम्पूर्ण रकबे एवं खसरा नम्बर 2126 के उत्तरी-पूर्वी हिस्से की 3 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे, अन्यथा में वादी को भूमि मुतनाजा के हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं भूमि का कानूनी बंअवारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के मध्य करते हुए तद्नुसार रिकार्ड दुरूस्ती की जावे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा प्रतिवादी संख्या 29 के पक्ष में करायी गई रजिस्ट्री को प्रारम्भ से ही नल एवं वाइड करार दी जाकर इस आधार पर घोषणा की जावे कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मोहरी बनाम साधुराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/24/2018		

उससे क्रेता को विवादित भूमि पर कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के हिस्से व कब्जे काश्त में कोई दखल नहीं करे तथा वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग-उपभोग करने देवे।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 15 ने अधीनस्थ न्यायाल के समक्ष जबाव वाद प्रस्तुत किया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट भाबरु में नियत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 16/05/2018 पारित करते हुये वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों का अनुसरण करते हुये मुताबिक राजीनामा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री सही रूप से पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16/05/2018 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 27/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर